न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 899/2018

1. उधमसिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील वजिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. प्रगट सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. वरयाम सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. गुरनामसिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. महल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. बन्ता सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. स्वर्ण सिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. गुरचरण सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. रेशम कौर बेवा करतार सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

चरणवीर सिंह पुत्र विरेन्द्र पाल सिंह जाति जट सिख साकिन 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहनलाल माहर	प्रार्थीगण
2. श्री सुभाष मिढ्ढा	अप्रार्थी

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 21.10.2019**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीयान के पास चक 7 सी बड़ी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 13 में 3.161 हैक्टयर व मुरब्बा नम्बर 20 में 1.581 हैक्टयर रकबा प्रार्थीयान के नाम दर्ज है। प्रार्थीयान के मुरब्बा न0 20 के लिए जाने के लिए काई रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीयान को अपनी जमीन पर जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

21 से 25 में रास्ता नजदीक व सुविधाजनक है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसी रकबा में प्रार्थी नम्बर 1 के नाम 1.580 हैक्टयर व प्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम 1.580 हैक्टयर प्रार्थी संख्या 5 से 8 के नाम 1.429 हैक्टयर व प्रार्थी संख्या 9 के नाम 0. 153 हैक्टयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 7 सी बडी प्रथम का खाता संख्या 6/11 उज्जवल सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह के नाम मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 16–17–18–19–20–21–22–23–24–25 में 2.276 हैक्टयर रकबा दर्ज है। उज्जवल सिंह के मरने के बाद उपरोक्त रकबा का इन्तकाल दिनांक 09.02.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो चुका है तथा जमाबंदी में भी उसके नाम दर्ज है क्योंकि रकबा उसके नाम दर्ज होने की वजह से उनको पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीयान को अपने खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने की वजह से प्रार्थीयान को खते में जाने में भी कठिनाई होती है तथा खेती करने में भी सुविधा होती है जिसके लिए रास्ता दिया जाना अतिआवश्यक है। मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 में सरकारी सडक पक्की गांव आ रही है तथा 21 से 25 रास्ता सुविधाजनक है यही रास्ता प्रार्थी को अपने खेत जाने के लिए नजदीक वा सुविधाजनक है किला नम्बर 25 से 21 में जाकर प्रार्थी आगे अपनी जमीन में से पहुंच सकता है इसके अलावा और कोई रास्ता नजदीक नहीं है और ना ही कोई और रास्ता सुविधाजनक नहीं है इसलिए इसी रास्ता को स्वीकृत किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खेत में जाकर अपनी जमीन का सुधार कर सके। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि चक 7 सी बडी प्रथम तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 से 25 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। रास्ता की राशि प्रार्थी जमा करवाने के लिए तैयार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 24.10.2016 को अप्रार्थी की तलबी हेतु पुनः वकील प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड लिफाफा मय ए.डी. के तलबी हेतु नोटिस जारी हुए। दिनांक 23.12.2016 को अप्रार्थी की तलबी अखबार में साया करवाने हेतु आदेश दिये गये जिसकी पालना में वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.02.2017 को नोटिस अखबार में साया करवाकर न्यायालय में अखबार की प्रति शामिल की, अखबार की प्रति शामिल पत्रावली है। दिनांक 20.11.2017 को अप्रार्थी चरणवीर सिंह के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 से 25 में 1–1 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 08.12.2017 के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.12.2018 में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2017 निरस्त कर इस निर्देश के साथ रिमांड किया कि राज. काश्त. अधि. की धारा 251ए एवं उसकी कियान्विति हेतु नियम 69 की पालना करते हुए सभी सम्बन्धित पक्षकारों को सुनकर एवं साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान कर विधिवत निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली को पुनः बाजवा नम्बर पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को पुनः तलब किया गया। अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

किया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 09.04.2019 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार हल्का गिरदावर व पटवारी हल्का सहित दिनांक 24.02.2018 को स्वयं मौका पर देखा गया। मौका निरीक्षण एव रिकार्ड के आधार पर उक्त प्रकरण मे न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निणर्य दिनांक 08.12.2017 द्वारा मु0 न0 19 के किला न0 21 ता 25 में एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया जो नामान्तरण सख्या 629 दिनांक 9.07.2018 के द्वारा स्वीकृत हुआ लेकिन मौका पर रास्ता चालू नही हुआ। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगगानगर मे अपील सख्या 134/2018 अनवान चरणवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह के निणर्य दिनांक 10.12.2018 में उक्त स्वीकृतशुदा एक–एक बिस्वा रास्ता निरस्त कर पुन सुनवाई कर निणर्य हेतू माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगगानगर को रिमाण्ड किया गया। चक 7 सी बड़ी प्रथम के मु0 न0 20 हेतू रास्ता चाहने वाले खातेदारो उद्यमसिंह पुत्र हरदीप सिंह वगैरह के नाम मु0 न0 20 के किला न0 1 ता 25 प्रत्येक 0.253 है0 व मु0 न0 13 के किला न0 3ता 08, 14 ता 17, 24–25 प्रत्येक 0.253 के नाम संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मु0 न0 13 मु0 20 के उत्तर दिशा में साथ चिपता हुआ है। मु0 न0 13 के उत्तर दिशा में मु0 न0 06 के किला न0 21 ता 25 में पत्थर लाइन से चिपता हआ गैर मु0 रास्ता चालू व रिकार्ड में दर्ज है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तोवजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पास मुरब्बा नम्बर 13, मुरब्बा नम्बर 20 के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 21 ता 25 में पत्थर लाईन से चिपता गैरमुमकिन रास्ता चालू है एवं रास्ता दर्ज रिकार्ड है।

–:: आदेश ::–

मुरब्बा नम्बर 20 एवं 13 प्रार्थीगण का संयुक्त रकबा है एवं मु0 न0 13 के उत्तर दिशा में मु0 न0 06 के किला न0 21 ता 25 में पत्थर लाइन से चिपता हुआ गैरमुमकिन रास्ता चालू व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अपनी सुविधा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है न कि रास्ते के अभाव के आधार पर। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.11 12:29:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: